भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

## लोक सभा

**अतारांकित प्रश्न संख्या - 1606**

उत्तर देने की तारीख : 26.07.2022

# दिव्यांगों हेतु लाभ

1606. श्री धर्मेन्द्र कश्यप:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश सहित देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान दिव्यांगों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए गए दिव्यांग संस्थाओं की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) इन संस्थानों से दिव्यांगों द्वारा क्या लाभ उठाए जा सकते हैं?

## उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत नौ राष्ट्रीय संस्थान (एनआई) काम कर रहे हैं । दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए इन राष्ट्रीय संस्थानों के आउटरीच/विस्तार केंद्रों के रूप में 21 समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) को अनुमोदित/स्थापित किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 01 अप्रैल 2018 को अथवा उसके बाद निम्नलिखित एनआई और सीआरसी स्थापित किए गए हैं:-

(i) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सीहोर, मध्य प्रदेश

(ii) सीआरसी, रांची, झारखंड

(iii) सीआरसी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

(iv) सीआरसी, गंगटोक , सिक्किम

(v) सीआरसी, बलांगीर , ओडिशा

(vi) सीआरसी, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार

(vii) सीआरसी, इंफाल , मणिपुर

(ख): दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को इन संस्थानों से होने वाले लाभ निम्नानुसार हैं:

i. पुनर्वास सेवाएं;
ii. सहायक यंत्र और सहायक उपकरणों का प्रावधान;
iii. कौशल विकास ;
iv. दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में क्षमता निर्माण; और
v. दिव्यांगता संबद्ध मामलों पर अनुसंधान;

*****